संख्या- 767/2015/1884/69-1-15-54(ज0वि0)/2015

प्रेषक,

एस0पी0 सिंह
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग। लखनऊ : दिनांक 19 अगस्त, 2015

विषय: **वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 में शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत जनपद-रायबरेली की 15 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1643/64/10/छ/विविध/अ0स0-म0ब0/13-14, दिनांक 22 जुलाई, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, **जल निकासी, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत** वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद-रायबरेली की न0प0 परशदेपुर व डलमऊ की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क, नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग कुल 15 परियोजनाओं हेतु रू0 **241.42 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित**, उक्त के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि **रू0 120.71 लाख (रूपये एक करोड़ बीस लाख इकहत्तर हजार मात्र)** की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)/2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूत्र से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूत्र से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुरूप उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।

क्रमशः......2

4. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित सूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित सूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शहरी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

7. उक्त परियोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित सूडा का होगा।

8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

9. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित सूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।

10. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

11. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सचिव/प्रमुख सचिव तथा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।

12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, वाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

13. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

14. सेंटेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।

15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2016 तक व्यय हो सके।

क्रमश........3

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 के योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास आयोजनागत-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-03-मलिन बस्तियों तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में सी0सी0 रोड/इण्टरलाकिंग तथा नाली आदि का निर्माण-00-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 तथा समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

(एच0पी0 सिंह)

विशेष सचिव।

संख्या- 762 /2015/1884(1)/69-1-15, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, रायबरेली ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूचना को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)

विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या- [illegible]/2015/1884(1)/69-1-15-54(ज0स0 37)/2015 दिनांक 19 अगस्त, 2015 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रु0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय/नगर पंचायत का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत	प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत [illegible] धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1.	रायबरेली	न0पं0 परशदेपुर	वार्ड सं0-04 के मो0 पूरे काजी पूर्वी में अनवर के मकान से युनुस के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली व क्रास निर्माण कार्य।	1.87	0.935
2.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-04 के मो0 पूरे काजी पूर्वी में जायस सलोन रोड (एमडीआर) पर शकील अहमद के मकान से हरिशंकर के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली व क्रास निर्माण कार्य।	34.57	17.285
3	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-02/5 के मो0 राम सागर/कटरा बाजार में इरशाद पोस्ट मैन के मकान से रामसागर तालाब के पास ट्रान्सफार्मर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली व क्रास निर्माण कार्य।	69.31	34.655
4	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-07 के मो0 जिल्ला बाजार में नूरानी मस्जिद से शफीक के आरा मशीन होते हुये सलोन जायस मार्ग तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली व क्रास निर्माण कार्य।	24.67	12.335
5	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-07 के मो0 जिल्ला बाजार में सलोन से जायस रोड पर हबीब के मकान के पास से अयोध्या के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली व क्रास निर्माण कार्य।	34.57	17.285
6.	तदैव	न0पं0 डलमऊ	वार्ड सं0-03 के मो0 शेखवाड़ा में छोटी मजार से मो0 मकबूल अन्सारी के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली व क्रास निर्माण कार्य।	7.11	3.555
7.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-03 के मो0 शेखवाड़ा में सलीम अन्सारी के घर से पुल तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली व क्रास निर्माण कार्य।	27.01	13.505
8.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-03 के मो0 शेखवाड़ा में मज्जन के घर से सज्जन के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली व क्रास निर्माण कार्य।	5.99	2.995
9.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-03 के मो0 शेखवाड़ा में अनवरी के घर से रशिद के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली व क्रास निर्माण कार्य।	7.48	3.74

—2—

10.	[illegible]	तदैव	वार्ड सं0-03 के मो0 [illegible] में [illegible] के [illegible] शाहिद खान के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली व क्रास निर्माण कार्य।	[illegible]	[illegible]
11.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-03 के मो0 शेखवाड़ा में [illegible] के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली व क्रास निर्माण कार्य।	2.92	[illegible]
12.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-03 के मो0 शेखवाड़ा में शकील अन्सारी से इण्टरलाकिंग रोड तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली व क्रास निर्माण कार्य।	9.36	[illegible]
13.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-04 के मो0 चौहट्टा में लखनऊ रायबरेली रोड से मजार तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली व क्रास निर्माण कार्य।	5.55	2.7[illegible]
14.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-04 के मो0 चौहट्टा में मुर्तजा के घर से हामिद के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली व क्रास निर्माण कार्य।	2.30	1.15
15.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0-04 के मो0 चौहट्टा में बाबी के घर से कर्बला तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली व क्रास निर्माण कार्य।	4.77	[illegible]
	योग			241.47	120.71

(रुपये एक करोड़ बीस लाख इकहत्तर हजार मात्र)।

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in